फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर

प्रार्थी :– श्री बसन्तीलाल **विपक्षी :– अकबरखां**

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. **पत्रावली संख्या : 23/21**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 03.05.2023 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प डबोक में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा विपक्षी सं. 5, 7, 8, 27, 37 फौत होने से पूर्व में वारिस कायमी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा.दी. का न्यायहित में स्वीकार किया जाकर विपक्षी सं. 5, 7, 8, 27, 37 के वारिस पूर्व से ही पत्रावली पर होने से अलग से नाम कायमी की आवश्यकता नहीं रहती हैं। अतः विपक्षी सं. 5, 7, 8, 27, 37 का नाम तर्क किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। विपक्षी सं. 3, 4, 9, 10, 13, 15, 18, 20 से 26, 28 से 36, 38 से 41 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। विपक्षी सं. 1, 2, 6, 11, 12, 14, 16, 17 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर पत्थरगढी किये जाने पर कोई विशेष आपत्ति जाहिर नहीं की। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार है, विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडोसी खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। इसलिये प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी है एवं प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमाज्ञान करा पत्थरगढी कराने का पुरा अधिकार है। सीमा को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद है जो कि सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी होने के पश्चात ही सुलझ सकता है। ऐसी स्थिति में विवाद समाप्ति के लिये प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। **–: आदेश :–** प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा डबोक पटवार हल्का डबोक की आराजी नम्बर 3366, 3370, 3371 किता 3 रकबा 0.9308 हेक्टेयर भूमि के मध्य स्थित सरहद/चारो दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/– पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Shrikant Vyas Date: 2023.06.20 13:[illegible] Reason: SelfAttested (श्रीकान्त व्यास) उपखण्ड अधिकारी मावली	